कार्यपालिका: मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री (ब्रिटेन)

प्रदोष कुमार

ब्रिटिश शासन व्यवस्था में कैबिनेट का महत्व

ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था है ।संसदीय शासन में कार्यपालिका का एक औपचारिक प्रधान होता है। तथा दूसरा कार्यपालिका वास्तविक प्रधान । सत्ता का प्रयोग औपचारिक प्रधान के नाम से किया जाता है परंतु वास्तविक रूप में सत्ता का प्रयोग औपचारिक प्रधान ही नहीं बल्कि वास्तविक प्रदान करता है।। ब्रिटेन में सम्राट कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान है और कैबिनेट कार्यपालिका की वास्तविक प्रधान। प्रसिद्ध ब्रिटिश विधिवेत्ता प्रोफेसर **डायसी** के शब्दों में " यद्यपि शासन का प्रत्येक कार्य सम्राट के नाम पर किया जाता है परंतु इंग्लैंड की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति कैबिनेट में ही निहित है!"

ब्रिटिश शासन व्यवस्था में कैबिनेट के महत्व को स्पष्ट करने के लिए ब्रिटिश संविधान के विभिन्न लेखकों द्वारा अलग-अलग शब्दावली का प्रयोग किया गया है, जिसमें कुछ इस प्रकार

बैजहॉट के अनुसार, "कैबिनेट एक हाईफन है जो जोड़ता है, एक वक्सुआ है जो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को मिलाता है।"

लावेल ने इसे 'राजनीतिक मेहराब की आधारशिला' कहा है।

जॉन मैरियट का कहना है कि "कैबिनेट वह घुरी है जिस पर संपूर्ण प्रशासन चक्र घूमता है।" ब्रिटिश शासन व्यवस्था में कैबिनेट का महत्व पिछली दो सदियों से चला आ रहा है। वर्तमान समय में लगभग सभी देशों के कार्यपालिका अधिकाधिक शक्ति प्राप्त करती जा रही है और ब्रिटेन में या प्रवृत्ति प्रमुख रूप से देखी जाती है परंपराओं के आधार पर सम्राट पूर्णतया एक औपचारिक प्रधान बनकर रह गया है और व्यवहारिक प्रवृत्तियों के कारण संसद की शक्तिया क्षीण होने लगी है।ऐसी स्थित मे **रैमजे म्योर** जैसे कुछ व्यक्ति ' कैबिनेट के अधिनायकत्व' की बात करने लगे हैं कैबिनेट के अधिनायकत्व की बात निराधार है ।लेकिन इसके साथ ही यह तत्व हैकि ब्रिटिश शासन व्यवस्था में कैबिनेट सर्वाधिक शक्तिशाली इकाई है।

कैबिनेट प्रिया मंत्रिमंडल का अभिप्राय

मंत्रिमंडल का आशय उस राजनीतिक समिति से है जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करती है लोक सदन के बहुमत दल के नेता को सम्राट के द्वारा प्रधानमंत्री

Scanned with CamScanner

पद प्रदान किया जाता है और प्रधानमंत्री सिद्धांता संसद सदस्यों में से और व्यवहार में सामान्यतया अपने ही राजनीतिक दल के संसद सदस्यों में से अपने सहयोगियों का चुनाव करता है। **मुनरो** के शब्दों में **मंत्रिमंडल राजमुकुट के नाम पर प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए हुए राजकीय परामर्श दाताओं की समितियों को कहा जाता है जिन्हें लोक सदन के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो।**

मंत्रिमंडल का उदय और विकास

बेटी ब्रिटिश संविधान की भांति ही ब्रिटिश शासन व्यवस्था की सबसे प्रमुख संस्था मंत्रिमंडल भी परिणाम विकास का परिणाम है निर्माण का नहीं इसकी स्थापना किस संसदीय अधिनियम के आधार पर नहीं हुई वर्णन बल्कि वह पिछली लगभग 3 सदियों के विकास का परिणाम है यद्यपि मंत्रिमंडल के द्वारा 18 वीं सदी से कार्य किया जा रहा है किंतु कानून में इसके अस्तित्व को 1937 के सम्राट के मंत्री परी नियम मंत्री परिणयम में स्वीकार किया गया

18 वीं सदी के अंत तक मंत्रिमंडल की निम्न विशेषताएं स्थापित हो चुकी थी: कैबिनेट के सदस्य ब्रिटिश संसद के लिए जाने चाहिए, सामान्यता हुए एक ही राजनीतिक दल में से होने चाहिए उनका संसद में बहुमत होना चाहिए ।उनकी एक समान नीति होनी चाहिए मंत्री लोक सदन के सम्मुख उत्तरदाई होने चाहिए और सभी प्रधानमंत्री के अधीन होने चाहिए 19वीं सदी में इन्हीं सिद्धांतों को सुदृढ़ता प्रदान की गई ।

बीसवीं सदी में मंत्रिमंडल व्यवस्था से संबंधित कुछ बातों का विकास हुआ अब मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या 10- 12 के स्थान पर 18 से 22 हो गए और मंत्रिमंडल के कार्य बढ़ जाने के कारण मंत्रिमंडलीय संसदीय समितियों का प्रचलन हुआ। संकट काल में राष्ट्रीय मंत्री मंडल की स्थापना का प्रचलन हुआ युद्ध काल में मंत्रिमंडल की आंतरिक समिति के रूप में युद्ध मंत्री मंडल का विकास हुआ 20 वीं सदी में ही कैबिनेट सचिवालय की स्थापना हुई।

मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की विशेषता

इंग्लैंड मंत्रिमंडलमात्मक व्यवस्था का मातृ देश है और अन्य देशों ने इस व्यवस्था को इंग्लैंड से ही ग्रहण किया है। अतः ब्रिटेन की मंत्रिमंडलामात्मक व्यवस्था को उचित प्रकार से समझ लिया जाना चाहिए।ब्रिटेन की मंत्रिमंडलीयप्रणालीकी विशेषता निम्न प्रकार है:-

1 सम्राट की वास्तविक कार्यपालिका से पृथक था।

Scanned with CamScanner

2 व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के मध्य घनिष्ठ संबंध।

3 मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व।

4 मंत्रिमंडल की गोपनीयता ।

5 मंत्रिमंडल की राजनीतिक सजातीयता।

6 मंत्रीमंडल पर प्रधानमंत्री का नेतृत्व।

मंत्रिमंडल का गठन

मंत्रिमंडल के गठन की प्रक्रिया प्रधानमंत्री की नियुक्ति से आरंभ होती है। औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री का चुनाव सम्राट द्वारा किया जाता है लेकिन समानता ब्रिटेन की दलीय पद्धति के अंतर्गत प्रधानमंत्री का चुनाव महा निर्वाचन में जनता द्वारा किया जाता है। सुस्थापित परंपरा के अनुसार सम्राट लोकसदन के बहुमत के नेता को प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता है। अतः सामान्यतया इस संबंध में सम्राट की व्यक्तिगत इच्छा या विवेक का कोई विशेष महत्व नहीं है। विशेष बात यह है कि अब ब्रिटेन के दोनों ही प्रमुख दलों ने इस प्रचलन को अपना लिया है है कि निर्वाचन के बाद और इसके बाद जब कभी प्रधानमंत्री का पद रिक्त हो ।लोकसदन का बहुमत स्वयं नेता का चुनाव करेगा इस बात के कारण सम्राट द्वारा प्रधानमंत्री के चयन में अपने विवेक का प्रयोग करने के अवसर अब और कम हो गए।

अन्य मंत्रियों की नियुक्ति सम्राट के द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर की जाती है। और रानी विक्टोरिया के बाद से ही इस संबंध में सम्राट का प्रभाव समाप्त हो गया। नवीन सरकार के निर्माण का नियंत्रण प्राप्त होने के बाद प्रधानमंत्री अपने सहयोगियों की सूची सम्राट को देता है और सम्राट के द्वारा उनके नामों की घोषणा की जाती है।

परंपरा के अनुसार है मंत्रिमंडल के सदस्यों के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है ।किसी ऐसे व्यक्ति को जो नियुक्ति के समय संसद सदस्य ना हो केवल 6 माह की अवधि के लिए मंत्री बनाया जा सकता है। इस बीच में या तो उस लॉर्ड की उपाधि देकर लॉर्ड सभा का सदस्य बना लिया जाता है या वह उपचुनाव में किसी निर्वाचन क्षेत्र स चुनकर आता है। मंत्रिमंडल में दोनों ही सदनों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है । सामान्यतया प्रत्येक कैबिनेट में चार मंत्री लॉर्ड सभा में से होते हैं। यद्यपि इस प्रकार की कानूनी व्यवस्था नहीं है इसके अतिरिक्त

Scanned with CamScanner

प्रधानमंत्री को अपने सहयोगियों का चुनाव करने में अपने दल के अंदर विभिन्न व्यक्तियों की स्थिति, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र और समुदायों के प्रतिनिधित्व, और समाज सेवा की भावना आदि का ध्यान रखना होता है सहयोगियों का चुनाव निश्चित रूप से एक कठिन और अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य है क्योंकि मंत्रिमंडल की सफलता सही-सही योगियों के चुनाव पर ही निर्भर करती है यद्यपि सहयोगियों के चुनाव में प्रधानमंत्री के द्वारा कुछ वास्तविकता को दृष्टि में रखा जाता है लेकिन जहां तक वैधानिक दृष्टिकोण का संबंध है वह अपने सहयोगियों के चुनाव में पूर्ण स्वतंत्र होता है व्यवहार में भी इस संबंध में अंतिम निर्णय तो उसका विवेक ही करता है **एमरी** लिखते हैं कि **" वास्तव में किसी अधिनायक को ही अपनी कैबिनेट के निर्माण में इतनी अधिक स्वेच्छाचारी शक्ति प्रदान होती है जितनी कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री को।"**

मंत्री मंडल की सदस्य संख्या निश्चित करना, उसके स्तर निर्धारित करना और उनमें विभाग का वितरण करना प्रधानमंत्री का ही कार्य है। मंत्रिमंडल का निर्माण हो चुकने के बाद ही प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल में कोई भी परिवर्तन कर सकता है। किसी एक राजनीतिक दल को लोकसदन में स्पष्ट बहुमत प्राप्त न होने पर संयुक्त मंत्रीमंडल या संकट की स्थिति में राष्ट्रीय मंत्रिमंडल का निर्माण किया जा सकता है।

1937 के सम्राट के मंत्री परिनियम के अनुसार वर्तमान समय में मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री सहित 20 पद होते हैं। प्रधानमंत्री के पद को **प्रधानमंत्री और राज्य कोष का प्रथम लॉर्ड** नाम से संबोधित किया जाता है ।मंत्री मंडल के सदस्यों की संख्या कम या अधिक हो सकती है। 1937 के परिनियम द्वारा पहली बार प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों का वेतन निश्चित किया गया था। इस वेतन में समय-समय पर वृद्धि होती रही है।

Scanned with CamScanner